न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 57/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमल पुत्र मंगतू जाति माली निवासी ग्राम खेस्ती तह0 नगर

—— वादी

बनाम

1. परभाती 2. जलसिंह 3. जयसिंह 4. भगवानसहाय	पिस0 अर्जुन	जाति माली निवाासी ग्राम खेस्ती तह0 नगर
5. कन्नी पुत्र बोदन 6. मुरारी पुत्र मंगतू		
7. बशीरखां पुत्र नसीबा 8. नन्नूखां पुत्र नसीबा 9. मुस0 बोदी पत्नि स्व0 नसीबा		जाति मेव निवासी ग्राम खेस्ती तह0 नगर

—— असल प्रतिवादीगण

10. तहसीलदार साहब तहसील नगर

—— फोरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

श्री मेघसिंह भगोर, अधिवक्ता वादीगण

श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, प्रति0

निर्णय दिनांक 08/02/2018

प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2017 की पालना में तहसीलदार नगर के पत्र कमांक/राजस्व/कुरे/1496 दिनांक 29.12.2017 के साथ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की वहस सुनी तथा पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जिससे तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी फाईनल डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि —

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है । ग्राम खेरली तह0 नगर की आ0ख0नं0 279/0.3625 पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 को बहिस्सा बराबर, खसरा नम्बर 279/1/0.03625 पर प्रतिवादी संख्या 5 कन्नी के वारिसान को, ख0नं0 279/2/0.03625 पर वादी कमल को, ख0नं0 279/3/0.03625 पर प्रतिवादी संख्या 6 मुरारी को तथा ख0नं0 279/4/0.145 पर प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 को बहिस्सा बराबर पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाता है । तहसीलदार नगर मृतक कन्नी के वारिसान की नियमानुसार जांच कर दर्ज करें तथा निम्न नजरी नक्शानुसार तरमीर की जावे ।

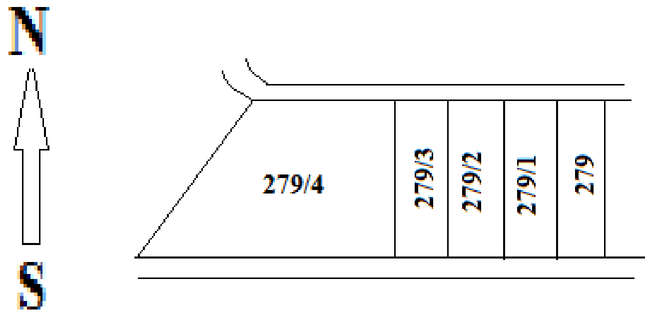

इसी प्रकार अंतिम डिक्री जारी की जावे ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 08/02/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर